मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल –462004

क्रमांक/एफ–7–22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 31–7–1995

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष
जिला
मध्यप्रदेश.

विषय :– **नगरीय क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी की वितरण व्यवस्था।**

—0—

प्रदेश में निस्तार सुविधाओं संबंधी नीति के निर्धारण के पश्चात दिनांक 26–12–94 को तत्संबंधी आदेश जारी किये गये है। इस नीति के तहत 1–7–95 से शहरी क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा वनोपज (जलाऊ लकड़ी) के प्रदाय की व्यवस्था बंद की जाना प्रस्तावित है। चूँकि कई शहरी क्षेत्रों में संभवतः जलाऊ लकड़ी आदि की व्यवस्था निजी क्षेत्रों द्वारा करने में ओर कम समय लगने की संभावना है। अतः फिलहाल शहरी क्षेत्रों में भी जलाऊ लकड़ी आदि प्रदाय करने की व्यवस्था चालू रखी जाये, परन्तु यह प्रदाय बाजार दर पर होगा न कि रियायती दर पर।

2/ आपसे अनुरोध है कि आगामी तीन महिनों के अन्दर वनोपज प्रदाय हेतु शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त सवैकल्पिक व्यवस्था करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायें ताकि प्रदाय की उक्त व्यवस्था को विभाग द्वारा तीन महीनों के बाद बंद किया जा सके।

सही/–
(एस.के. पंवार)
उप सचिव, म0प्र0 शासन
वन विभाग

पृ.क्र.एफ–7–22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 31–7–1995

प्रतिलिपिः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल को उनके पत्र क्रमांक प्र.मु.व.स./3957 दिनांक 1–7–95 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–
(एस.के. पंवार)
उप सचिव